

## कार्यक्षेत्र में होने वाले मामले

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते/जानती हैं जिसे सही वेतन नहीं दिया जा रहा है? क्या आपने किसी ऐसे व्यापार या संगठन के बारे में सुना है जो सही कदम नहीं उठा रहा है? हम मामले का समाधान करने में आपकी मदद कर सकते हैं या आप गुमनाम रूप से अपनी जानकारी हमारे साथ बांट सकते/सकती हैं।

### विकल्प 1 : कार्यक्षेत्र में मामलों का समाधान करने के लिए मदद प्राप्त करें

क्या आपको इस बारे में परामर्श चाहिए कि अपने कार्यक्षेत्र में किसी मामले का समाधान कैसे करना चाहिए?

हमारी क्रमवार उपलब्ध कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवादों का समाधान करने की संदर्शिका ([www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/issues-in-the-workplace/resolving-workplace-disputes](http://www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/issues-in-the-workplace/resolving-workplace-disputes)) (Guide to resolving workplace disputes) का अनुसरण करें। यदि आपको दुभाषिण की ज़रूरत है, तो आप अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर फोन कर सकते/सकती हैं। ऑपरेटर को अपनी भाषा बताएं और उनसे हमें 131 394 पर फोन करने के लिए कहें। आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर अर्थात विदेश से भी TIS को +61 3 9268 8332 पर फोन कर सकते/सकती हैं।

आप काम पर न्यूनतम वेतन और शर्तों के/की पात्र हैं, भले ही आपने अपने वीज़ा का उल्लंघन किया हो। हमने गृह मंत्रालय (Department of Home Affairs) से यह समझौता किया है कि उस परिस्थिति में किसी व्यक्ति का अस्थायी वीज़ा रद्द नहीं किया जाएगा यदि वह हमसे आकर मदद मांगता है, बशर्ते कि:

- उसके वीज़ा के भाग के तौर पर वह काम करने के लिए पात्र हो
- उसे यह लगता हो कि काम पर उसका शोषण किया गया है
- उसने काम करने की अपनी परिस्थितियों की सूचना हमें दी हो
- वह जाँच-पड़ताल में हमारी मदद कर रहा हो।

यह तब तक लागू है जब तक कि:

- वह भविष्य में अपनी वीज़ा की शर्तों का पालन करता है
- ऐसे कोई अन्य कारण नहीं हैं जिनकी वजह से उसके वीज़ा को रद्द किया जाना चाहिए (जैसेकि राष्ट्रीय सुरक्षा, चरित्र, स्वास्थ्य एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित आधार)।

ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले सभी वीज़ा धारकों के लिए कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट (<https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights>) पर पढ़ें।

### विकल्प 2 : कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित किसी शंका की सूचना गुमनाम रूप से दें

यदि आपको यह चिंता है कि कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र के कानूनों का पालन नहीं कर रहा है परन्तु आप इस मामले में फंसना नहीं चाहते/चाहती हैं, तो आप हमें मामले की सूचना गुमनाम रूप से भी दे सकते/सकती हैं।

हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे परन्तु आपके द्वारा हमें दी गई सूचना:

- हमें अपनी वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद देगी
- को अन्य कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल), राज्य या टेरिटरी निकायों से साझा किया जा सकता है।

#### आगे क्या करें

- काम के अपने समय पर नज़र रखने के लिए रिकॉर्ड माई आउर्स एप्प (Record my hours app ([www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/record-my-hours-app](http://www.fairwork.gov.au/tools-and-resources/record-my-hours-app))) का प्रयोग करें।

## Contact us

Fair Work Online: [www.fairwork.gov.au](http://www.fairwork.gov.au)

Fair Work Infoline: 13 13 94

Need language help?

Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Hearing & speech assistance

Call through the National Relay Service (NRS):

For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94

Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94

---

The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional. Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.